

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 727

वर्ष-2020 के थाना वाद सं.-116, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी से उदभूत।

=====

राम नाथ साहनी, पुत्र-किशोरी साहनी, ग्राम के निवासी- मालमल, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

भारतीय दंड संहिता- धारा 302,376 (ए) और 376 (डी), पाँक्सो अधिनियम-नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत सही नहीं है-मृतक को आखिरी बार आरोपी/अपीलार्थी के साथ नहीं देखा गया-अपीलार्थी जो बहन के ससुराल में रहता है और मृतक सोनी कुमारी के संपर्क में नहीं है-केवल इसलिए कि अपीलार्थी के पिता के घर में मृत शरीर पाया गया- अपीलार्थी द्वारा मृत लड़की के साथ घटना के संबंध का पता नहीं लगाया जा सकता है-

अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा-अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र को साबित करने में भी विफल रहा-निचली अदालत के समक्ष कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया-अभियोजन पक्ष घटना के समय, घटना के स्थान, अपराध के तरीके, अपीलकर्ता/अभियुक्त की मंशा तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध मोबाईल फोन पर बातचीत को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा-विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय और आदेश-खारिज।

**पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2023 का आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 727**

वर्ष-2020 के थाना वाद सं.-116, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी से उदभूत।

=====

राम नाथ साहनी, पुत्र-किशोरी साहनी, ग्राम के निवासी- मालमल, थाना- कलुआही, जिला- मधुबनी।

.....अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण:

**बनाम**

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

**उपस्थिति :**

अपीलार्थीगण के लिए : श्री धनंजय नाथ तिवारी, अधिवक्ता

श्री भावेश कुमार साह, अधिवक्ता

श्री प्रियेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अजय मिश्रा, एपीपी

सूचना देने वाले के लिए : श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

=====

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा**

**मौखिक निर्णय**

**(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)**

**तिथि:- 01.03.2024**

वर्तमान अपील 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (इसके पश्चात 'दं.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) धारा-374 (2) के तहत दिनांकित 07.06.2023 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.06.2023 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI-सह विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, मधुबनी द्वारा जी.आर. पॉक्सो वाद सं.- 43/2000 (कलुआही थाना कांड सं.- 116/2020 से उत्पन्न) के संबंध में पारित किया गया है एवं जिसके द्वारा अपीलकर्ता/दोषी को धारा 302 भा.दं.वि. के अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) के जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (सह पठित धारा भा.दं.वि. की धारा 376(ए) तथा 376(डी) यथा पॉक्सो की धारा 42 के तहत) आजीवन कारावास, जिसका अर्थ होगा दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास एवं 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाओं को साथ साथ चलाने का निर्देश दिया गया।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कुमार तिवारी जिनकी सहायता श्री भावेश कुमार साह और प्रियेश कुमार ने की, श्री अजय मिश्रा, प्रतिवादी-राज्य के लिए ए. पी. पी. और श्री बिमल कुमार, सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

“17.08.2020 की रात को, लगभग 09:00-09:30 शाम को सूचक की बेटी, सोनी कुमारी शौच करने के लिए बाहर चली गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों ने उसके ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बावजूद

उसका पता नहीं चल सका। सुबह में उन्हें स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि एक शव गाँव-मलमल की किशोरी साहनी के घर में पड़ा है, जो एक विकलांग व्यक्ति है। सूचक थाने गया और पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस दल पहुंचा तो वह पुलिस दल के साथ किशोरी साहनी के घर गया। जैसे ही उन्होंने शव देखा, उन्होंने इसकी पहचान अपनी बेटी सोनी कुमारी के शव के रूप में की। इस बीच, बहुत सारे ग्रामीण वहाँ जमा हो गए थे। आसपास के सामग्रियों को ध्यान से देखने और स्थानीय लोगों के बीच चल रही चर्चा से उन्हें पता चला कि रामनाथ साहनी (अपीलकर्ता), विजय कुमार साहनी, प्रसादी साहनी, शिवजी साहनी, शिवजी साहनी की पत्नी और प्रसादी साहनी की पत्नी ने मिलकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था, उसकी हत्या कर दी थी और शव को घर में छिपा दिया था। उसे आशंका है कि आरोपी ने मिलकर उसकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया है।

4. प्राथमिकी दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

5. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की और बचाव पक्ष ने बचाव पक्ष के दो गवाहों से भी पूछताछ की है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में समर्पित किया कि वर्तमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और प्रश्नगत घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह समर्पित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने केवल इच्छुक गवाहों से पूछताछ की है और किसी भी स्वतंत्रता गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास हैं और यद्यपि अभियोजन पक्ष ने मृतक की मृत्यु को हत्या के रूप में साबित किया है, लेकिन

अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी ने कथित अपराध किए हैं। यह भी समर्पित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह स्थापित किया जा सकता है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल वर्तमान अपीलार्थी और किसी अन्य ने नहीं कथित अपराध किए हैं। उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है- **रवि शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) और एक अन्य, प्रतिवेदित (2022) 8 एस. सी. सी. 536** में प्रतिवेदित, **अंजन कुमार सरमा और अन्य बनाम असम राज्य, (2017) 14 एस. सी. सी. 359** में प्रतिवेदित, **रवि और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 102** में प्रतिवेदित, **रीना हजारिका बनाम असम राज्य, (2019) 3 एस. सी. सी. 289** में प्रतिवेदित और **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस. सी. सी. 116** में रिपोर्ट किया गया।

7. विद्वान वकील ने अंत में आग्रह किया कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और इस तरह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश या सजा को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

8. दूसरी ओर, विद्वान ए. पी. पी. के साथ-साथ सूचना देने वाले की ओर से पेश विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। यह मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी है कि उन्होंने मृतक सोनी कुमारी को विजय कुमार साहनी के घर की ओर जाते देखा है और वर्तमान अपीलार्थी सहित तीन लड़के उसके पीछे जा रहे थे। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को लागू किया है। यह आगे समर्पित किया जाता है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के आचरण पर भी इस

न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। घटना के तुरंत बाद, अपीलार्थी सहित सभी आरोपी व्यक्ति फरार हो गए। यह आगे समर्पित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक सोनी कुमारी की हत्या को साबित कर दिया है और चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह भी समर्पित किया गया है कि मृतक का शव भी वर्तमान अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य का नेतृत्व करके, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित की है जिनसे यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने कथित अपराध किए हैं। इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने समर्पित किया है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

10. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष के साथ-साथ निचली अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की सराहना करना चाहेंगे।

11. अभि. साक्षी 1 जोगी यादव उर्फ उषेंद्र यादव हैं। उसने अपने मुख्य जॉच में कहा है कि वह मोहन यादव (सूचक) का पड़ोसी है। उन्होंने आगे कहा है कि लगभग 09:30 रात को उन्होंने मृतक सोनी कुमारी अपने घर के सामने के रास्ते पर जाते हुए देखा था। कुछ समय बाद सोनी कुमारी के माता-पिता उसकी तलाश में आए। हालांकि, रात में सोनी कुमारी के ठिकाने का पता नहीं चल सका। इसके बाद सुबह पता चला कि सोनी कुमारी के साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और

उसका शव किशोरी साहनी के घर पर मिला। बाद में, यह पता चला कि शंकर साहनी, विजय कुमार साहनी और रामनाथ साहनी (अपीलार्थी) ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उक्त गवाह ने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान की।

11.1 जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि सूचना देने वाला मोहन यादव उसका भतीजा है। उन्होंने आगे कहा है कि किशोरी साहनी एक विकलांग व्यक्ति हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब सोनी कुमारी के माता-पिता ने उसकी तलाशी ली थी तो वह वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने दरवाजे के पास बैठे थे और उस समय उन्होंने सोनी कुमारी को रास्ते में चलते देखा था। इसके अलावा सुबह 9 से 10 बजे उन्हें पता चला कि सोनी कुमारी का शव किशोरी साहनी के घर में मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि सोनी कुमारी स्कूल में पढ़ रही थी। हालाँकि, उसे पता नहीं है कि वह किस कक्षा में पढ़ रही थी।

11.2 उक्त गवाह ने विशेष रूप से आगे अपने जिरह के पैराग्राफ-13 में स्वीकार किया कि जब उन्होंने सोनी कुमारी को देखा तो वह अकेली जा रही थीं। उन्होंने आगे कहा है कि मोहन यादव उनके सजातीय हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रसादी साहनी और विजय साहनी के घर उनके घर के पूर्व में एक किलोमीटर के भीतर हैं। पुलिस ने घटना के 5 से 7 दिन बाद उसका बयान दर्ज किया।

12. अभि. साक्षी 2, रामकली देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्होंने मोहन यादव की बेटी को उत्तर से दक्षिण की ओर जाते देखा था। उस समय रात के लगभग 09:00 से 09:30 बज रहे थे। कुछ समय बाद, तीन लड़के, विजय साहनी, शंकर साहनी और रामनाथ साहनी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। इसके बाद वह सोने चला गया।

अगले दिन, जब वह जागी, तो उसे पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने सोनी कुमारी की हत्या कर दी है और उसका शव मोहन यादव के पशु-गृह में छिपा दिया गया है।

12.1. जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि मोहन यादव उसका सजातीय है। उसने आगे कहा है कि घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। वह आगे बताती है कि किशोरी साहनी भीख माँगकर रहती है और उसकी पत्नी मर चुकी है। उक्त गवाह ने जिरह के पैराग्राफ-11 में आगे विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसने लड़की को अकेले जाते देखा था और लड़की के जाने के 5 से 10 मिनट बाद, अभियुक्त व्यक्तियों को उसके पीछे जाते देखा गया।

13. अभि. साक्षी 3 नंद किशोर श्याम हैं। उन्होंने अपने मुख्य जाँच में कहा है कि मृतक सोनी कुमारी सजातीय रिश्ते से उनकी भतीजी है। यह घटना 17.08.2020 को हुई थी। उस समय वे जयनगर से घर लौट रहे थे। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने मृतक सोनी कुमारी को सड़क पर आगे चलते देखा। यह रात का लगभग 9:15 था। कुछ समय बाद उनके पीछे विजय साहनी, रामनाथ साहनी और शंकर साहनी उसी रास्ते से जा रहे थे। 10:30 बजे रात को मृतक के पिता मोहन यादव उनके घर आए और बताया कि उनकी बेटी सोनी कुमारी लापता है। उस समय, उक्त गवाह ने को बताया कि उसने उसे चौक की ओर जाते देखा था। इसके बाद वह मृतक सोनी कुमारी की तलाश में गया। लेकिन, उसका पता नहीं चल सका। यह आगे कहा गया है कि जब वह 05:30 बजे सुबह टहलकर वापस जा रहे थे उसने शंकर साहनी, रामनाथ साहनी और विजय साहनी को भागते देखा। इसके बाद, 08:30 बजे सुबह मोहन यादव और अन्य लोगों ने उन्हें बताया कि सोनी कुमारी का शव मल्लाह टोली में पड़ा हुआ है। लगभग 10:30 बजे सुबह योगेंद्र यादव ने उन्हें फोन किया और बताया कि मल्लाह टोली में मिला शव एक लड़की का है। इसके बाद, उन्होंने सोनी कुमारी के पिता को इसके बारे में थाना को सूचित करने का परामर्श दिया। इसके बाद पुलिस

वारदात के मौके पर पहुंची। वह पुलिस कर्मियों के साथ किशोरी साहनी के घर भी गए जहां सोनी कुमारी का शव मिला था। घर को बाहर से जंजीरों से बांधकर बंद कर दिया गया था जिसे पुलिस ने खोल दिया था। शव के पास से एक खंती (एक छोर पर नुकीली धार वाली लोहे की छड़) और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। उन्होंने शव की पहचान की। शव की गर्दन पर गला घोटने का निशान पाया गया। उस समय किशोरी साहनी भी शराब पीकर चिल्ला रहा था। सभी आरोपी फरार हो गए। इसलिए, उन्होंने संदेह जताया कि इन सभी अभियुक्तों ने मोहन यादव की बेटी की हत्या की होगी। वह आगे कहता है कि सभी तीनों लड़के/आरोपी किशोरी साहनी के घर पर सोते थे क्योंकि उनके घर पर कोई महिला सदस्य नहीं रहती थी। बाद में, उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी, मृतक सोनी कुमारी, विजय साहनी से टेलीफोन पर बात करती थी।

13.1. जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि उसके घर और मोहन यादव के घर के बीच 5 से 6 घर हैं। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद पहली बार उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने आगे कहा है कि किशोरी साहनी के घर से शव बरामद किया गया था। उन्होंने आगे विशेष रूप से कहा है कि सोनी कुमारी एक छात्रा थीं। उन्होंने अपने गाँव के मिडिल स्कूल से 8 वीं पास की थी एवं 9 वीं कक्षा में दाखिला नहीं लिया था। वह पुलिस के साथ किशोरी साहनी के घर गया था।

14. अभि. साक्षी 4 रेखा देवी मृतक की माँ हैं। उन्होंने मुख्य परीक्षा में कहा है कि लगभग 9:00 बजे रात में उनकी बेटी सोनी कुमारी यह कहकर घर से चली गई कि वह प्रकृति के आह्वान का पालन करने जा रही है। लेकिन, उसकी बेटी शौच करने के बाद वापस नहीं आई। इसलिए, उसने अपने ससुराल वालों और पति को इसके बारे में सूचित किया और उसके बाद, उन्होंने सोनी कुमारी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। अगली सुबह उनकी बेटी का शव किशोरी

साहनी के घर में मिला। वह आगे बताती है कि नंद किशोर श्याम ने उसे बताया कि घटना की रात में तीनों लड़के उसकी बेटी का पीछा कर रहे थे।

14.1. जिरह के दौरान, वह कहती है कि नंद किशोर श्याम उसका बहनोई है जो अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। नंद किशोर श्याम की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और आज वह नंद किशोर श्याम के साथ ही अदालत में आई हैं।

15. अभि. साक्षी 5 मोहन यादव मृतक के पिता और मामले के हैं। इस गवाह ने कहा है कि 17.08.2020 को, वह लगभग 09:30 बजे धान बो कर घर आया था। वह और उनकी पत्नी सोने चले गए और मृतक सोनी कुमारी उसकी पत्नी को शौच जाने के बारे में बताते हुए घर से निकल गई। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी जागी तो उसे सोनी कुमारी नहीं मिली। वह बाहर गई और उसकी तलाश की और उसके बाद उसने उक्त गवाह को सूचित किया। इसके बाद उन्होंने मिलकर उसके अगनेट्स/कॉग्नेट्स से तलाशी और पूछताछ शुरू की। उनके सजातीय नंद किशोर श्याम ने उन्हें बताया कि उन्होंने सोनी कुमारी को चौक की ओर जाते देखा था जब वे 09:30 बजे रात्रि में जयनगर से वापस आ रहे थे उस समय रामनाथ साहनी, विजय साहनी और शंकर साहनी को उनके पीछे कुछ दूरी पर जाते देखा गया था। अगले दिन सुबह ग्रामीणों को पता चला कि किशोरी साहनी के घर में एक लड़की का शव पड़ा है। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस किशोरी साहनी के घर पर पहुंची और घर के अंदर चली गई। उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी व्यक्ति शव को मुस्लिम इलाके में फेंककर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव पैदा करना चाहते थे। हालाँकि, जब वे अपने बुरे इरादे में सफल नहीं हो सके क्योंकि वहाँ काफी सवेरा था, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने शव को किशोरी साहनी के घर में फेंक दिया और दरवाजे पर एक चेन लगा दी और उसे बाहर से बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था जो पवन किशोर द्वारा लिखा गया था, जैसा कि उनके द्वारा लिखवाया गया था।

15.1 जिरह के दौरान, अभि. साक्षी 5 ने कहा कि रामनाथ साहनी के पिता, अर्थात् किशोरी साहनी, एक विकलांग व्यक्ति हैं और वह शराब बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वह छड़ी की मदद से चलता है। वह आगे कहता है कि पवन किशोर उसका सजातीय है और उक्त पवन किशोर नंद किशोर श्याम का छोटा भाई है। वह आगे कहता है कि उसने अपनी बेटी को कोई भी मोबाइल फोन नहीं दिया था जो उसके या उसकी पत्नी के नाम पर था। उसे यह भी नहीं पता कि शव के पास पाए गए मोबाइल फोन का सिम अकुला देवी के पति के नाम पर था या नहीं। वह गोबराही ग्राम के दिनेश प्रसाद अबशेक कुमार यादव और राकेश कुमार को भी नहीं जानता है।

16. अभि. साक्षी 6 डॉ. कुणाल किशोर गौतम, अभि. साक्षी 7 डॉ. खुशबू कुमारी और अभि. साक्षी 9 डॉ. मुकेश कुमार मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है।

17. चिकित्सा बोर्ड ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: .

## **"2. एंटी-मॉर्टम परिणाम:**

- I. थायराइड उपास्थि के ऊपरी सीमा से होते हुए ऊपर अर्धवृत्ताकार तरीके से दाहिने कान से बाएं कान तक गर्दन के चारों ओर काला पड़ना।
- II. लिगचर चिन्ह के नीचे मौजूद एक्किमोसिस।
- III. गर्दन की मांसपेशियों का खिंचाव और लंबा होना अनुपस्थित है।
- IV. दाहिनी नेत्रश्लेष्मला रक्तस्राव मौजूद है।

## **3. योनि परीक्षा के बारे में:-**

- I. लैबिया मेजरा, लैबिया मिनोरा और मॉन्स पबिस आंतरिक निजी भाग की चोट के साथ फटे हुए हैं।
- II. मॉन्स प्यूबिस के ऊपरी भाग में मौजूद स्राव:

III. योनि गुहा में मौजूद रक्त के रंग वाले साव जिनके लिए योनि स्वाब परीक्षण के लिए नमूना पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया।

4. डॉ. बिनोद कुमार (एम. डी.) द्वारा 19-08-02020 को योनि स्वैब की पैथोलॉजिकल जांच की गई थी और निम्नलिखित सूक्ष्म निष्कर्षों को दर्शाता है-

शुक्राणु वर्तमान (0-3/एच. पी. एफ.)

डब्ल्यू. बी. सी.-1-2 एच. पी. एफ.

आरबीसी-3-10 एच. पी. एफ.

ई. पी. आई. कोशिका-3-5 एच. पी. एफ.

अन्य- कुछ नहीं

#### 5. विच्छेदन पर:-

I. लार के साथ मिश्रित ट्रेकिया-स्वरयंत्र साव।

II. थायराइड उपास्थि अव्यवस्थित और अस्थिभंग।

III. फेफड़ों में भीड़भाड़

IV. हृदय-वाम कक्ष भरा हुआ और दाहिना कक्ष खाली है।

V. सभी आंतरिक आंत जैसे यकृत, प्लीहा और दोनों गुर्दे पीले हो जाते हैं।

VI. पेट में पचे हुए खाद्य सामग्री।

VII. आंत- गैस और मल युक्त पदार्थ।

VIII. मूत्राशय-खाली।

IX. गर्भाशय-गैर ग्रेविड

X. मस्तिष्क और मेनिन्जेस-पेल।

मृत्यु के बाद का समय-24 घंटे के भीतर।

6. हमारी राय में बलात्कार के रूप में यौन हमले के साथ-साथ गला घोटने के कारण श्वासावरोध के कारण मृत्यु की पुष्टि उपरोक्त चोटों और पैथोलॉजिकल निष्कर्षों से होती है।

7. मेडिकल बोर्ड की यह पी. एम. रिपोर्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। मैंने डॉ. कुणाल किशोर गौतम और डॉ. खुशबू कुमारी के साथ हस्ताक्षर किए, जिसे मैं पहचानता हूँ।

18. अभि. साक्षी 8 राज कुमार मंडल जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि उन्हें 18.08.2020 को कलुआही पुलिस स्टेशन में एस. एच. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें जानकारी मिली कि मलमल मलाहटोली में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना मिलने के बाद, उन्होंने पुलिस दल को घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। इसके बाद, वह एस. आई. और सशस्त्र पुलिस बल और महिला कांस्टेबल के साथ सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि एक लड़की का शव विकलांग किशोरी साहनी के घर में पड़ा हुआ है। मृतक सोनी कुमारी का शव किशोरी साहनी के पश्चिम की ओर स्थित घर में मिला था। उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना स्थल पर मृतक लड़की के पास एक नोकिया मोबाइल फोन और एक लोहे की छड़ मिली। इसलिए एक जब्ती-सूची तैयार की गई थी। इसके बाद, का बयान लिया गया और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

19. बचाव पक्ष ने बचाव साक्षी 1, महावीर साहनी और बचाव साक्षी 2 सुशीला देवी के रूप में दो गवाहों से भी पूछताछ की है।

20. बचाव साक्षी 1, महावीर साहनी ने केवल यह कहा है कि वह आरोपी रामनाथ साहनी से परिचित है। वह उसके पुत्र का साला (साला) है। रामनाथ साहनी की मां

का 5-6 साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद वह अपने घर पर रहता है। लगभग 2 से 2.5 साल पहले, गाँव के तत्कालीन मुखिया राधे यादव ने रामनाथ साहनी को यह कहते हुए ले लिया था कि उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वह पूछताछ के बाद वापस आ जाएगा। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी।

21. बचाव साक्षी 2 सुशीला देवी आरोपी रामनाथ साहनी की चाची हैं। उन्होंने कहा है कि उनका घर रामनाथ साहनी के घर के बगल में स्थित है। जब वह 6-7 साल के थे तब उनकी माँ ने घर छोड़ दिया था। उसके पिता विकलांग हैं। उसकी बहन की शादी के बाद उसकी बहन उसे अपने ससुराल ले गई। राधे मुखिया रामनाथ साहनी को उसकी बहन के घर से इस बहाने ले गए थे कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उस समय रामनाथ साहनी की आयु 14-15 वर्ष थी। घटना के दिन रामनाथ साहनी ग्राम में मौजूद नहीं थे।

22. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है।

23. हमने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपरोक्त बयानों से यह कहा जा सकता है कि अभि. साक्षी 1 जोगी यादव, जो मृतक सोनी कुमारी के पड़ोसी और चाचा हैं, के अनुसार मृतक अकेले जा रहा था, जबकि अभि. साक्षी 2 रामकली देवी, जो सूचना देने वाले की सजातीय हैं, ने कहा है कि लगभग 09:00 से 09:30 बजे रात्रि में मृतक सोनी कुमारी अपने घर के पास रास्ते पर जा रही थी और कुछ समय बाद तीन लड़के उसका पीछा कर रहे थे। जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि लड़की अकेली जा रही थी और उसी के 5-10 मिनट बाद,

आरोपी भी उसी दिशा में जा रहे थे। इस गवाह का बयान घटना के तीन दिन बाद दर्ज किया गया था। इसी तरह, अभि. साक्षी 3 नंद किशोर श्याम, जो मृतक के पड़ोसी और चाचा भी हैं, कहते हैं कि 09:15 बजे रात्रि को उसने मृतक को चौक की ओर जाते देखा था और कुछ समय बाद आरोपी भी उसका पीछा कर रहे थे। कथित गवाह ने विशेष रूप से कहा कि लगभग 10:30 बजे रात्रि को सूचना देने वाला उसके घर आया और वह अपनी बेटी की तलाश में था। उन्होंने सोनी कुमारी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली।

23.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि मोहन यादव, जो मृतक के पिता और हैं, ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत/जानकारी में कहा है कि नंद किशोर श्याम ने अपनी बेटी को लगभग 09:15 बजे रात्रि में चौक की ओर जाते देखा एवं यह की तीन लड़के उसका पीछा कर रहे थे। पहली बार, सूचना देने वाले ने अदालत के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में इसके बारे में बताया है। अन्यथा भी, अभि. साक्षी 1,2 और 3 ने यह नहीं कहा है कि मृतक को रात के समय आरोपी के साथ अंत में देखा गया था। अभि. साक्षी 1 ने विशेष रूप से कहा है कि सोनी कुमारी अकेली गई थीं। अभि. साक्षी 2 ने कहा है कि मृतक के जाने के 5-10 मिनट बाद, आरोपी चौक की ओर जा रहे थे। यहां तक कि अभि. साक्षी 3 ने भी कहा है कि मृतक लगभग 09:15 बजे रात्रि में जा रहा था एवं कुछ समय बाद आरोपी उसी रास्ते पर चल रहे थे। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत सही नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि मृतक को अंततः वर्तमान अपीलार्थी सहित अभियुक्त के साथ देखा गया था।

23.2 यह रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि एक नोकिया मोबाइल फोन किशोरी साहनी के घर पर मृतक के शव के पास पाया गया था। जाँच अधिकारी ने उक्त मोबाइल फोन के मालिक के बारे में पूछताछ की और यह पाया गया कि सिम कार्ड अनुला

देवी के नाम पर था। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुला देवी को न तो आरोपी के रूप में दिखाया गया था और न ही उन्हें गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। यह आगे प्रतीत होता है कि मृतक लड़की के पिता, अर्थात् , अभि. साक्षी 5 ने एक लाल रंग का मोबाइल फोन सौंपा जो जांच अधिकारी के तकिये के नीचे पाया गया था। उक्त मोबाइल फोन का सिम कार्ड विजय साहनी के नाम पर था और जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त सी. डी. आर. से पता चला कि मृतक आरोपी विजय साहनी के संपर्क में था और उसने घटना की रात को उक्त आरोपी से संपर्क किया था। इससे आगे पता चलता है कि घटना से एक दिन पहले आरोपी विजय साहनी और मृतक के बीच बातचीत हुई थी और मृतक ने आरोपी विजय साहनी से भी कई बार बात की थी। जाँच अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि कुछ ग्रामीणों से जाँच के दौरान यह पता चला कि मामला प्रेम संबंध का है। जाँच अधिकारी ने आगे कहा है कि सूचना देने वाले द्वारा प्रस्तुत लाल रंग का मोबाइल फोन बयान के समय उसके पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उक्त मोबाइल फोन का नंबर 9523346230 है। विजय साहनी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन में सिम नंबर 9741784051 था। हालांकि, यह विजय साहनी के पिता के नाम पर था। इससे आगे पता चलता है कि विजय साहनी ने मृतक को लाल रंग का मोबाइल फोन दिया था, जिसका सिम नंबर 9523346230 था, जो उसके तकिए के नीचे मिला था। यह आगे जांच अधिकारी कि सी. डी. आर. से मृतक से बरामद मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड से यह पाया गया कि पीड़ित और आरोपी विजय साहनी के बीच मोबाइल नंबर 8409670047 पर बातचीत हुई थी जिसका स्थान बेंगलोर में था। उक्त मोबाइल फोन के धारक राकेश कुमार हैं। उन्होंने राकेश कुमार से पूछताछ की थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि राकेश कुमार न तो आरोपी हैं और न ही गवाह हैं। इसी तरह, जांच अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि घटना की रात को ही मोबाइल नंबर 7761999400 से उस मोबाइल फोन पर बातचीत हुई है जो मृतक के पास से बरामद किया गया था। उक्त मोबाइल फोन की धारक संगीता कुमारी हैं, हालांकि, दू कॉलर आईडी में इसका उल्लेख

अभिषेक के रूप में किया गया है। जाँच अधिकारी ने विशेष रूप से कहा है कि अभिषेक या संगीता कुमारी न तो आरोपी हैं और न ही गवाह हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलकर्ता मृतक सोनी कुमारी के संपर्क में नहीं था और हालाँकि मृतक सोनी कुमारी ने मोबाइल फोन से बातचीत की थी जो अभिषेक या संगीता कुमारी के साथ उसके मृत शरीर के पास पाया गया था, उन्हें गवाह या आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है।

23.3 अभिलेख से यह आगे पता चलता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने बचाव पक्ष के दो गवाहों का जाँच किये थे। उन गवाहों के बयान से पता चलता है कि अपीलकर्ता अपनी बहन के ससुराल में रहता है न कि किशोरी साहनी के। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि किशोरी साहनी, जिनके घर से सोनी कुमारी का शव मिला था, को भी अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी या गवाह के रूप में नहीं दिखाया गया है। अपीलार्थी ने बचाव पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ करके यह साबित करने से विमुक्त किया है कि जिस घर से शव मिला था, उस पर उसका कब्जा नहीं था और वास्तव में प्रश्नगत घर के मालिक उसके पिता किशोरी साहनी थे और उस पर उनका कब्जा था।

23.4 इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक के पिता और वर्तमान मामले के अभि. साक्षी 5, मोहन यादव ने विशेष रूप से अदालत के समक्ष बयान दिया है कि आरोपी व्यक्ति शव को मुस्लिम इलाके में फेंककर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव पैदा करना चाहते थे। हालाँकि, जब वे अपने बुरे इरादे में सफल नहीं हो सके क्योंकि वह सुबह का प्रारम्भ था, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने शव को किशोरी साहनी के घर में डाल दिया और उसे जंजीरों से बांध दिया और उसे बाहर से बंद कर दिया।

24. इस प्रकार, के बयान से ही यह कहा जा सकता है कि किशोरी साहनी के घर में बलात्कार नहीं किया गया था और न ही मृतक को उक्त घर में मार दिया गया था।

हालाँकि, बलात्कार और मृतक की हत्या करने के बाद, उनकी लाश को किशोरी साहनी के घर में डाल दिया गया। इस प्रकार, केवल इसलिए कि मृत शरीर किशोरी साहनी के घर से मिला था, जो अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी, किसी भी तरह से, प्रश्नगत घटना से जुड़ा हुआ है।

25. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य से हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने कथित अपराध किए हैं। इस स्तर पर, हम यह भी देख सकते हैं कि अभियोजन पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके पीड़ित की उम्र साबित करने में विफल रहा है। यह नंद किशोर श्याम का विशिष्ट मामला है कि मृतक ने ग्राम के माध्यमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष कोई भी स्कूल रजिस्टर या मृतक का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि घटना के समय वह नाबालिग थी।

26. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में महत्व ग्रहण करने वाले उद्देश्य के बिंदु पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2022) 8 एस. सी. सी. 536 में रिपोर्ट किए गए रवि शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) और एक अन्य के मामले में कंडिका-14 में निम्नानुसार कहा है:-

14. जब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से निपटते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि, चश्मदीद गवाहों से जुड़े मामले में मकसद महत्वहीन हो सकता है, लेकिन ऐसा तब नहीं हो सकता है जब किसी आरोपी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर फंसाया जाता है। कानून की इस स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा तरसीम कुमार

बनाम दिल्ली प्रशासन [तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन, 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 367:1994 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1735] में निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी. पी. 371, पैरा 8) में विचार किया गया है।

"8. आम तौर पर, प्रत्येक आपराधिक कृत्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और यही कारण है कि जांच एजेंसी के साथ-साथ अदालत भी एक आरोपी की संलिप्तता प्रश्नगत करते हुए यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आरोपी की ओर से प्रश्नगत अपराध करने का उद्देश्य क्या था। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह इंगित किया गया है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर सभी उचित संदेहों से परे साबित हो गया है, तो उद्देश्य अपना महत्व खो देता है। लेकिन एक मामले में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, आरोपी की ओर से अपराध करने का मकसद अधिक महत्वपूर्ण है। बेशक, यदि अभियोजन पक्ष की ओर से साबित प्रत्येक परिस्थिति को अदालत द्वारा इस निष्कर्ष को दर्ज करने के उद्देश्य से स्वीकार किया जाता है कि यह आरोपी था जिसने प्रश्नगत अपराध किया था, भले ही ऐसा अपराध करने के उद्देश्य का सबूत न हो, तो भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन जांच एजेंसी के साथ-साथ अदालत को यथासंभव यह पता लगाना चाहिए कि आरोपी की ओर से तत्काल क्या उद्देश्य था जिसके कारण वह प्रश्नगत अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ।"

27. इस स्तर पर, हम अंजन कुमार सरमा और अन्य बनाम असम राज्य में प्रतिवेदित (2017) 14 एस सी सी 359 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए

गए निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे, जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका सं. 13,16 एवं 21 में निम्नानुसार कहा है:-

"13. जीत काकती को भा. दं. सं. की धारा 366-ए के तहत अपराध करने के लिए बरी कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा उनके बरी होने की पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान जीत काकती की मृत्यु हो गई और उनके द्वारा दायर अपील समाप्त हो गई। धारा 376 (2) (जी) के तहत अपीलार्थियों के बरी होने की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसे अभी भी चुनौती नहीं दी गई है। जिस बिंदु पर हम विचार कर रहे हैं वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा भा. दं. सं. की धारा 302, 201 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराना उचित है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप अनुचित है, सिवाय इसके कि जब वह दोष की विकृति से पीड़ित हो। *(ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य देखें। [ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 288:(2011) 2 एस. सी. सी. (आपराधिक) 923], एस. सी. सी. पैरा 38)।* निचली अदालत के फैसले में किसी भी विकृति के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा न तो कोई चर्चा की गई है और न ही कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है। मात्र जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया, वह यह है कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था जिसके कारण आरोपी को दोषी माना गया।

16. यह अब समग्रता नहीं है कि संदेह कभी-कभी कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है, अनजाने में यह नैतिक निश्चितता और कानूनी प्रमाण के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। कभी-कभी यह "सच हो सकता है" का मामला हो सकता है। लेकिन "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच एक लंबी मानसिक दूरी है और वही निश्चित निष्कर्षों से अनुमानों को विभाजित करता है। (*जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य देखें [जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य, (1991) 3 एससीसी 27:1991 एस. सी. सी. (आपराधिक) 527], एस. सी. सी. पी.37, पैरा 11.*)

21. भारत बनाम एम. पी. राज्य में [भारत बनाम एमपी राज्य, (2003) 3 एससीसी 106:2003 एससीसी (आपराधिक) 783] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अकेले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण देने में अभियुक्त की विफलता अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटियों की कि अभियुक्त द्वारा किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्त के अपराध का अनुमान निराधार था और इस प्रकार अपीलार्थी दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे।

28. रवि और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 102 में सूचित, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 3 और 5 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“3. अपीलार्थी-अभियुक्त और मृतक के साथ सुमा (अभि. साक्षी

1) और रामा नायक (अभि. साक्षी 2) 26.12.2004 को एक साथ थे, सटीक

समय दोपहर लगभग 1:30 बजे था। चार (4) दिनों के अंतराल के बाद अर्थात् 30-12-2004 को शव बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत पोस्टमॉर्टम के समय से 30 घंटे पहले हुई थी। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य इस तथ्य का संकेत देंगे कि शव लगभग दो (2) दिनों के बाद 26-12-2004 के दोपहर 1:30 बजे बरामद किया गया था।

5. "आखिरी बार एक साथ देखा जाना निश्चित रूप से एक आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक मजबूत भाग है। तथापि, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, मृत्यु की घटना और जब अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, के बीच का समय-अंतराल अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति देने के लिए यथोचित रूप से करीब होना चाहिए। जब समय-अंतराल काफी बड़ा होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो अदालत के लिए पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित होगा। वर्तमान मामले में, कोई पुष्टि सुलभ नहीं हो रही है। किसी भी अन्य परिस्थिति के अभाव में जो अपीलार्थी-अभियुक्त को कथित अपराध से जोड़ सकती है, सिवाय इसके कि जैसा ऊपर संकेत दिया गया है और "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" की परिस्थिति के किसी भी समर्थन के अभाव में हमारा यह विचार है कि उनके खिलाफ कथित अपराध में अपीलार्थी-अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में एक उचित संदेह पर विचार किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत बोझ उपरोक्त तथ्य स्थिति में नहीं बदलेगा, एक ऐसी स्थिति जिस पर इस न्यायालय ने *मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* [*मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, (2007) 13 एस. सी. सी. 399:(2009) 2 एस. सी. सी. (आपराधिक) 394] जिसमें इसका पूर्व दृष्टिकोण है। *मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य* [*मोहिबुर रहमान बनाम*

असम राज्य, (2002) 6 एससीसी 715:2002 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1496] निकाला गया है। मोहिबुर रहमान [मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य, (2002) 6 एससीसी 715 :2002 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1496] में उक्त दृश्य को लाभप्रद रूप से नीचे निकाला जा सकता है। (मल्लेशप्पा मामला [मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 13 एससीसी 399:(2009) 2 एस. सी. सी. (आपराधिक) 394], एस. सी. सी. पी.408, पैरा 23)

"23. ... '10. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था। अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आरोपी को मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने की घटना और मृत्यु के तथ्य के बीच स्थान और समय की निकटता के कारण, एक तर्कसंगत दिमाग को एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी किया जा सकता है कि या तो आरोपी को यह बताना चाहिए कि पीड़ित की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई या उसे हत्या के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। वर्तमान मामले में समय और स्थान की ऐसी कोई निकटता नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि जिस तारीख को मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, उसके लगभग 14 दिन बाद शव बरामद किया गया है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 30-40 किमी है। दो अभियुक्त व्यक्तियों के मृतक के साथ अलग होने और इस प्रकार आखिरी बार एक साथ देखे जाने की घटना (लिलिमा राजबोंगशी, अभि. साक्षी 6 द्वारा) समय या स्थान के संदर्भ में पीड़ित की मृत्यु के साथ इतनी

निकटता नहीं रखती है। डॉ. रतन सीएच दास के मुताबिक, मृत्यु 9-2-1991 से 5 से 10 दिन पहले हुई थी। चिकित्सा साक्ष्य यह स्थापित नहीं करता है, और यह मानने के लिए कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मृतक की मृत्यु 24-1-1991 को या उसके तुरंत बाद हुई थी। जहाँ तक अभियुक्त मोहिबुर रहमान का संबंध है, यह उसके खिलाफ उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र भाग है। हम पहले ही वसूली के बारे में सबूतों पर चर्चा कर चुके हैं और यह मानते हैं कि उसे किसी भी वसूली से नहीं जोड़ा जा सकता है। केवल इसलिए कि उसे अंतिम बार मृतक के साथ उसकी मृत्यु से कुछ अनिश्चित दिनों पहले देखा गया था, उसे मृतक की मृत्यु का कारण बनने के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जहाँ तक भा. दं. सं. की धारा 201 के तहत अपराध का संबंध है, उसके खिलाफ नाम के लायक कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। वह बरी होने का हकदार है।’ (मोहिबुर रहमान [मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य, (2002) 6 एससीसी 715:2002 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1496], एस. सी. सी. पीपी. 720-21, पैरा 10)“

29. **रीना हजारिका बनाम असम राज्य, (2019) 3 एस सी सी 289** में प्रतिवेदित मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 9 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

“9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनिवार्यताएं उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं और हम इसे दोहराना और आदेश पर अनावश्यक रूप से बोझ डालना आवश्यक नहीं मानते हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंधों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरोपी के हमलावर होने की एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो आरोपी की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या असामंजसपूर्ण हो। केवल अंतिम देखे गए सिद्धांत का आह्वान, किसी मामले में तथ्यों और साक्ष्य के बिना, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में संबंध पूर्ण नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, इस संभावना को खुला छोड़ते हुए कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी, तो जिम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं जाएगी, और संदेह का लाभ देना होगा।"

30. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, (1984) 4 एस. सी. सी. 116 में रिपोर्ट किया गया, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 150 से 160 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"150. यह अच्छी तरह से तय है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और वह बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता है। यह एक तुच्छ कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में जो हुआ है वह केवल यह है: जहां एक श्रृंखला में विभिन्न लिंक अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठी याचिका या एक झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन

देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि श्रृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमजोरी या कमी है, उसे एक झूठे बचाव या एक याचिका द्वारा ठीक या प्रदान किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

151. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एस. सी. आर. 1091 (ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343) हैं। इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में बाद के निर्णयों को अद्यतन करने में लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एस. सी. सी. 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656 के मामलों में। जे. महाजन न्यायाधीश ने हनुमंत के मामले में (ए. आई. आर. के पीपी. 345-46 पर) (ऊपर) जो कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता है:-

“यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की

परिकल्पना के मात्र अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि साबित करने के प्रस्ताव को छोड़कर, हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला इस हद तक पूर्ण होनी चाहिए की जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

152. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:-

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अनिवार्य' या होनी चाहिए' और 'शायद' स्थापित नहीं की जा सकती हैं। 'साबित किया जा सकता है' एवं 'अवश्य साबित या साबित होना चाहिए' में न केवल एक व्याकरण का बल्कि एक कानूनी अंतर होना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793: (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622) में अभिनिर्धारित किया था, जहाँ अवलोकन किये गए थे:

“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी 'हो सकता है' और 'हो सकता है' एवं 'होना चाहिए' के बीच की

मानसिक दूरी लंबी है और निश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्यों को केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियां एक निर्णयक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

154. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि जहां तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में सबूत के तरीके का संबंध है, एक अपराधतत्व-निकाय के अभाव में, उसी के सबूत के रूप में कानून का बयान ग्रेसन, न्यायाधीश (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति

व्यक्त की गई) द्वारा द किंग बनाम हॉरी, (1952) एन. जेड. एल. आर. 111 में इस प्रकार रखा गया था:

“इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को नैतिक रूप से सुनिश्चित करती हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैं: परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस और अप्रतिरोध्य होना चाहिए कि एक जूरी को यह समझाया जा सके कि हत्या के अलावा किसी भी तर्कसंगत परिकल्पना पर तथ्यों का हिसाब नहीं दिया जा सकता है।

155. अधिपति गोडार्ड ने 'नैतिक रूप से निश्चित' की अभिव्यक्ति 'में ऐसी परिस्थितियों से होती है जो अपराध के करण को निश्चित बनाती हैं' को थोड़ा संशोधित किया।

156. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है कि एक मामले को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य हो और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोषसिद्धि पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हॉरी के मामले (उपरोक्त) को इस न्यायालय द्वारा अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य, (1960) 2 एस. सी. आर. 460:(ए. आई. आर. 1960 एस सी 500) में अनुमोदित किया गया था। लागू के मामले के साथ-साथ हनुमंत के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का बिना किसी एक अपवाद के इस न्यायालय के बाद के सभी फैसलों में समान रूप से और लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए-तुफैल मामला (1969) 3 एस. सी. सी. 198 (ऊपर), रामगोपाल का मामला (ए. आई. आर. 1972 एस. सी.

656) (ऊपर), चंद्रकांत न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य (1957 की आपराधिक अपील संख्या 120 पर 19.02.1958 को निर्णय लिया गया), धरमबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958 की आपराधिक अपील संख्या 98 पर 04.11.1958 को निर्णय लिया गया)। ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां हालांकि हनुमंत के मामले पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट और दोहराया गया है, जैसा कि नसीम अहमद बनाम दिल्ली प्रशासन, (1974) 2 एससीआर 694 (696):(ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 691 पृष्ठ 693 पर), मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1144 (1146), शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1981) 2 एस. सी. आर. 384 (390):(ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 765 पी. पृष्ठ 767 पर) और एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1963) 2 एससीआर 405 (419):(ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200 पृष्ठ 206 पर) पाँच-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

157. देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एस. सी. आर. 570 (582) (ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 801, पृष्ठ 806 पर) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा समर्पित एक बहुत ही जोरदार तर्क पर ध्यान देना यहां आवश्यक हो सकता है: उनके इस तर्क के पूरक के रूप में कि यदि बचाव पक्ष का मामला गलत है तो यह एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया जा सके। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रति उचित सम्मान के साथ हम उपरोक्त मामले की उनके द्वारा दी गई व्याख्या के साथ सहमत होने योग्य नहीं हैं, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला जा सकता है:-

“लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अपीलार्थी को समय और स्थिति के संबंध में उचित निश्चितता और मृतक की निकटता के साथ संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं। ऐसे स्पष्टीकरण या गलत व्याख्या की अनुपस्थिति अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।

158. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण के अभाव या गलत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय ने पहले जो कहा था, उसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। , इससे पहले कि एक गलत व्याख्या को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ी संतोषजनक रूप से साबित किए गए हैं,

(2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और

(3) परिस्थिति समय एवं स्थिति के निकट है।

159. यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो अदालत अदालत को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। वर्तमान

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है। शंकरलाल के मामले (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 765) (ऊपर) में मामले के इस पहलू की जांच की गई थी, जहाँ इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“इसके अलावा, बचाव का झूठ उन तथ्यों के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है। एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ अनंत रूप में आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं।

160. इसलिए, यह न्यायालय किसी भी प्रकार से हनुमंत के मामले (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343) (ऊपर) में निर्धारित पाँच शर्तों से हटा नहीं हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि, ऐसा भी लगता है कि उच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय का गलत अर्थ निकाला है और अपीलार्थी द्वारा रखे गए तथाकथित झूठे बचाव का उपयोग श्रृंखला से जुड़ी अतिरिक्त परिस्थितियों में से एक के रूप में किया है। परिस्थितियों की एक अधूरी श्रृंखला और एक ऐसी परिस्थिति जिसे श्रृंखला पूरी होने के बाद, केवल न्यायालय के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब अभियोजन पक्ष हनुमंत के मामले में निर्धारित किसी भी आवश्यक सिद्धांत को साबित करने में असमर्थ होता है, तो उच्च न्यायालय झूठे बचाव या झूठी याचिका की सहायता या सहारा लेकर कमजोरी या कमी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। .

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के साक्ष्य की सराहना की जाती है, तो हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटियां की हैं।

32. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय, घटना के स्थान, अपराध के तरीके, उद्देश्य और अपीलार्थी/अभियुक्त की सहापराधिता और अपीलार्थी के खिलाफ मोबाइल फोन पर बातचीत को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित किया है। इसलिए, यह रद्द करने एवं दरकिनार करने योग्य है और रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

32.1. चूंकि ऊपर नामित अपीलार्थी जेल में है, तो उसे हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

33. अपील की अनुमति है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के. सी. झा /-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।